राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4, इंस्टीट्यूशनल एरिया, झालाणा डूँगरी,जयपुर

बिड संख्याः संस्थापन/2020–21/03/959-965 **दिनांकः** 20/07/2020

ई–निविदा सूचना

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी, जयपुर को 55 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद् मैन) संविदा पर सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत एवं अनुभवी फर्म/ठेकेदारों/संस्था/एजेन्सियों से वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन ई–बिड निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र. स.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि वार्षिक (रू. में)	बयाना राशि (रू. में)	संविदा अवधि	बिड प्रारम्भ करने की दिनांक	बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व समय	बिड खोलने की दिनांक व समय
1	55 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद् मैन)	65,00,000	1,30,000	1 वर्ष	20.07.2020 से	30.07.2020 तक दोपहर 3:00 बजे तक	30.07.2020 को सायं 05:00 बजे तक

बिड प्रकाशन से दिनांक 30.07.2020 दोपहर 3:00 बजे तक वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है तथा शर्ते एवं अन्य विवरण विभागीय वेबसाईट http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb एवं उपापन पोर्टल पर देखे जा सकते है। बिड प्रपत्र एवं बयाना राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर के नाम से देय होगा।

U.B.N. No.–

(डॉ.विजय सिंहल)
सदस्य सचिव

क्रमांकः एफ.III (499)/ रा.प्र.नि.मं./स्था./ **दिनांकः**

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
4. ए.सी.पी. (आई.टी. शाखा) को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को विभागीय वेबसाईट तथा उपरोक्तानुसार वैबसाईट पर अपलोड करें।
5. सदस्य (निविदा समिति), रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
6. नोटिस बोर्ड, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।

–।।–
सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी, जयपुर

निविदा प्रपत्र

संदर्भ–निविदा सूचनाः 2020–21/03/959-965 **दिनांकः 20/07/2020**

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवाएं संविदा पर ऐजन्सी के माध्यम से दिये जाने हेतु बिड–

1. बिडदाता/फर्म का नाम व पताः ______________________
(मय दूरभाष/मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल) ______________________
पते (यदि हो) सहित ______________________
____

2. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न आवश्यक पंजीकरण इत्यादि का विवरणः–

क्र. सं.	विवरण	रजि. संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

3. बिड प्रपत्र देने का पताः — Online through e-procurement portal: http://www.eproc.rajasthan.gov.in
4. मूल डी॰डी॰ जमा कराने का पताः — सदस्य सचिव, राज0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
5. मूल डी॰डी॰ जमा कराने की अन्तिम तिथि एवं समयः — जमा कराने की अन्तिम तिथिः 30.07.2020
समयः दोपहर 03.00 बजे
6. Online Bid प्रोसेसिंग फीसः (जो प्रबन्ध निदेशक, RISL, जयपुर के पक्ष में देय हो) — राशि रूपये 1000/– प्रति बिड
डी.डी./बैंकर्स चैक सं॰——— दिनांकः———
बैंक का नाम————————————
7. बिड शुल्क का विवरणः (जो सदस्य सचिव, रा.रा.प्र.नि.मं., जयपुर के पक्ष में देय हो) — राशि रूपये 1000/– प्रति बिड
डी.डी./बैंकर्स चैक सं॰——— दिनांकः———
बैंक का नाम————————————

8. अमानत राशिः (जो सदस्य सचिव, रा.रा.प्र.नि.मं., जयपुर के पक्ष में देय हो)
राशि रू. 1,30,000(एक लाख तीस हजार मात्र)
डी.डी. / बैंकर्स चैक सं.—— दिनांकः——
बैंक का नाम——————————

9. निविदा दरें निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होंगी (संवेदक द्वारा Online Bid में Box No.7,10,11 में दरें भरी जानी है):–

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				Wages rate per month per computer operator	EPF दर @13%	ESI दर @3.25%	सामग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिक की संख्या	राशि (प्रतिमाह)	राशि (प्रतिमाह)	प्रतिमाह / प्रति व्यक्ति	प्रतिमाह / प्रति व्यक्ति	प्रतिमाह / प्रति व्यक्ति	प्रतिमाह /प्रति व्यक्ति	प्रतिमाह / प्रति व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Machine with Men	उच्च कुशल	7774/–	55	4,27,570						

10. बिडदाता का विवरण एवं अनुभव प्रमाण पत्रः
बिड आवेदनकर्ता अपनी फर्म/एजेन्सी का पूर्ण विवरण, कन्सटीट्यूशन एवं अनुभव का पूर्ण विवरण मय तत्संबंधी प्रमाण पत्रों के संलग्न करें।

11. निविदादाता द्वारा संलग्न किये गये दस्तावेजों की सूची (सूची अलग से भी निम्न प्रारूप में संलग्न की जा सकती है):–

क्रम संख्या	संलग्न दस्तावेज का नाम	निविदा में पृष्ठ संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

12. मैंनें/हमनें बिड प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है। हमें सभी शर्तें मान्य होने बाबत् शर्तों पर सहमति के पश्चात् हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी, जयपुर

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवाएं संविदा पर लेने के लिए मांगी जाने वाली निविदा के लिए शर्तेः–

बिडदाता को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए एवं बिड भरते समय इनकी पूर्णतः पालना करनी चाहिए। बिडदाता को यदि किसी शर्त या कार्य के बारे में कोई सन्देह हो या वह अस्पष्ट लगे तो, अपनी बिड प्रस्तुत करने से पहले उसका सदस्य सचिव कार्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जावे। किसी भी शर्त की व्याख्या या विशेष विवरण के संबंध में मण्डल का निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा।

1. बिड प्रपत्र http://www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकेगा। Online बिड प्रपत्र पर प्रस्तुत दरें ही स्वीकार की जावेगी।
2. बिड केवल Online प्रारूप में ही http://www.eproc.rajasthan.gov.in वेबसाईट के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी। अन्य किसी भी प्रकार से कोई बिड/दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जावेगा।
3. बिड प्रपत्र राशि, अमानत राशि तथा RISL की प्रोसेसिंग फीस के रूप में डी.डी./बैंकर्स चैक की स्केन की हुई प्रतिलिपि बिड प्रपत्र के साथ Upload करना अनिवार्य है, बिना बिड प्रपत्र राशि, अमानत राशि तथा RISL की फीस के प्राप्त बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। बिड प्रपत्र राशि व अमानत राशि का डी.डी./बैंकर्स चैक, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के नाम तथा RISL की प्रोसेसिंग फीस का डी.डी./बैंकर्स चैक प्रबन्ध निदेशक, RISL, जयपुर के नाम से देय होगा। राजकीय उपक्रम, निगम, स्वायत्तशासी निकाय जो सरकार, सरकारी उपक्रमों, संघ सरकार या राजस्थान सरकार की कम्पनियों द्वारा नियंत्रित/प्रबन्धित संस्थाओं को अमानत राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। राजस्थान के MSME धारक को अमानत राशि में नियमानुसार छुट देय होगी।
4. बिड प्रपत्र राशि, बिड अमानत राशि व RISL की प्रोसेसिंग फीस के मूल डी.डी./बैंकर्स चैक निविदा सूचना में दी गई तिथि व समय के पूर्व मण्डल कार्यालय–4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूॅगरी, जयपुर में जमा करवाया जाना अनिवार्य है। बिना मूल डी.डी./बैंकर्स चैक प्राप्त होने वाली निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
5. सफल बिडदाता को बिड स्वीकृति दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर स्वयं के खर्चे पर रूपये 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।
6. बिड (ठेका) अनुमोदित होने पर जारी कार्य आदेश की तिथि के सात दिवस में वार्षिक ठेके की राशि के 5% के बराबर राशि प्रतिभूति के रूप में सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के पक्ष में डी.डी.

/बैंकर्स चैक/बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करनी होगी तथा MSME धारक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित छूट देय होगी। आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है। प्रतिभूति पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा। ठेका अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ठेका अवधि में कार्य सन्तोषजनक होने तथा किसी प्रकार का विवाद नहीं होने की स्थिति में प्रतिभूति राशि नियमानुसार वापिस लौटा दी जावेगी। बिडदाता चाहे तो अमानत राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित करा सकेगा।

7. निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करने अथवा प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराने अथवा निहित समय में कम्प्यूटर विद् मैन उपलब्ध नहीं कराने पर उसकी जमा अमानत राशि जब्त करते हुये बिड निरस्त कर दी जावेगी एवं अन्य बिडदाता की बिड स्वीकृत करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

8. प्रत्येक बिडदाता के पास सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत जारी डिजिटल प्रमाण–पत्र होना आवश्यक होगा।

9. यह बिड केवल वही व्यक्ति/फर्म/संस्थाएं प्रस्तुत कर सकती है, जिनका पंजीयन श्रम विभाग एवं आयकर विभाग पी.एफ. व ई.एस.आई. में हो। साक्ष्य के रूप में उक्त पंजीयन प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियॉं बिड के साथ Upload करना अनिवार्य है। बिना पंजीयन प्रमाण पत्रों के आवेदन करने वाली फर्म/व्यक्ति/संस्थाओं की बिड को निरस्त समझा जावेगा।

10. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर संविदा पर कार्य अवधि का ठेका स्वीकृति दिनांक से प्रारम्भ में छः माह की अवधि के लिए होगा। कार्य संतोषप्रद होने पर ठेका आगे बढ़ाया जा सकेगा।

11. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद् मैन) की संख्या व योग्यता विवरणः–

- **कम्प्यूटर मय ऑपरेटर(मशीन विद् मैन) की संख्या :–** लगभग 55
- **कर्मी की योग्यता :–**

(i)कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होनी चाहिए। उसे विन्डोज/लाइनेक्स एन्वायरमेन्ट (Windows/Linux environment) ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व इन्टरनेट का ज्ञान/अनुभव एवं कार्यालय सम्बंधी कार्यों के निष्पादन हेतु कम्प्यूटर पर कार्य करने तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी की टाईपिंग का ज्ञान होना आवष्यक हैं।

(ii)कर्मी स्वस्थ एवं न्यूनतम 21 वर्ष का होना चाहिए।

12. <u>**मशीनों का विवरण**</u>– निविदादाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार या इससे उच्च श्रेणी का होना आवश्यक है–

(A) **Computer-** Intel Core i3/ Equivalent AMD based Computer or higher speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office, Responsibility of Software license will be borne by the contractor.

(B) **Printer-** Black and White laser printer with speed 15ppm or more. For specific needs, Dot Matrix/ inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

(C) **UPS-** Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.

13. निविदादाता एजेन्सी का G.S.T. हेतु रजिस्ट्रेशन आवश्यक है तथा निविदा के साथ इसके प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य की प्रति संलग्न की जानी आवश्यक हैं।

14. निविदादाता एजेन्सी उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर्स में 15 दिन पूर्व सूचना देकर बदलाव कर सकेगा। फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गए कम्प्यूटर आपरेटर्स में कुल उपलब्ध कराये गए ऑपरेटर्स की संख्या के 20 प्रतिषत तक स्थायी बदलाव किया जा सकेगा। इससे अधिक स्थायी बदलाव करने से पूर्व मण्डल की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

15. यदि किसी कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पाई जाती है तो उक्त अवधि में अन्य व्यवस्था करके निविदादाता को तुरन्त उसके स्थान पर नया कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाना होगा।

16. सभी कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को आई.डी. कार्ड एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाये जावेगें तथा कार्यालय समय में सभी कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को आई.डी. कार्ड साथ रखना आवश्यक होगा।

17. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक कार्य सम्पादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार मान्य होगा।

18. सफल निविदादाता कार्य पर जिन कर्मियों को संविदा के आधार पर लगायेगा उनके नाम एवं पते मय दो फोटो तथा शिक्षा एवं तकनीकी योग्यता से सम्बंधित प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ एवं मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई.डी. कार्यादेश जारी होने की तिथि के 5 दिनों के अन्दर–अन्दर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। अनुबन्ध की अवधि में यदि किसी कर्मी को बदला जाता है तो उसके बदले नये कर्मी का नाम पता मय फोटो तुरन्त ही प्रस्तुत करने होंगे।

19. किसी भी तरह के न्यायिक विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

20. उपलब्ध करवाएं जाने वाले कर्मियों के लिए सफल निविदादाता ही नियोक्ता होगा। निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराएं गये कार्मिकों को राज्य मण्डल के विरूद्ध किसी भी प्रकार के कानूनी पहलू अथवा न्यायिक कार्यवाही की जाती है, तो निविदादाता संस्था/एजेन्सी ही उसके लिए उत्तरदायी होगी तथा औद्योगिक विवाद प्रस्तुत करने का अधिकार भी नहीं होगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर उपरोक्त दायित्वों के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायी नहीं होगा।

21. उक्त निविदा में भाग लेने वाली फर्म/एजेन्सी को इस क्षेत्र में (राजकीय/अर्द्ध राजकीय/राज्य शासित निकायों) न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक हैं। इसके लिये अनुभव एवं किये गये कार्यों का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक हैं। बिना अनुभव प्रमाण पत्रों के निविदा निरस्त योग्य होगी।

22. निविदादाता द्वारा ऑपरेटर्स को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से बैंक खाते में ही किया जायेगा एवं जमा कराये गये पारिश्रमिक से पी.एफ. की

राशि स्वयं के स्तर पर काटेगा तथा कर्मचारी एवं नियोक्ता के अंशदान की राशि भविष्य निधि संगठन में जमा कराना आवश्यक होगा। मासिक आधार पर निविदादाता को पी.एफ. जमा कराए जाने के साक्ष्य यथा चालान मय ई. सी.आर. की प्रति पिछले माह के बिल के साथ मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। तत्पश्चात् ही आगामी महिनों के बिल पारित किये जाना सम्भव हो सकेगा।

23. उपलब्ध करवाए गये कम्प्यूटर ऑपरेटर्स में समस्त को हिन्दी/अंग्रजी टाइपिंग का ज्ञान होना अनिवार्य है एवं सभी ऑपरेटर्स को हिन्दी (मंगल फोन्ट) का ज्ञान आवश्यक रूप से होना चाहिए।

24. आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की संख्या में कमी या बढ़ोतरी करने का अधिकार मण्डल कार्यालय का होगा। अतिरिक्त मांग की स्थिति में मैन विंद मशीन कार्यादेश देने के 3 दिवस में उपलब्ध कराना होगा।

25. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मण्डल के अध्यक्ष/सदस्य सचिव को होगा।

26. निविदा के सम्बंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उपरोक्त विवाद का निर्णय मध्यस्थ (Arbitrator) द्वारा किया जायेगा। जिसके लिए राज्य मण्डल के अध्यक्ष मध्यस्थ होंगे। मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।

27. यदि कोई कम्प्यूटर ऑपरेटर माह में चार दिवस से अधिक अनुपस्थित रहता है तो देय नियमित पारिश्रमिक के अतिरिक्त 200/– रूपये प्रतिदिन शास्ति के बिल में से काटे जावेंगे।

28. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए। कम्प्यूटर व अन्य उपकरण की स्थापना से पूर्व निविदादाता को मशीनें मण्डल के I.T. अनुभाग में प्रस्तुत कर उन्हें निर्धारित स्पेसीफिकेशन के अंनुरूप होने के लिए प्रमाणित करवाना होगा। मशीनें प्रमाणित होने के पश्चात् ही कम्प्यूटर स्थापित होना माना जावेगा।

29. निविदाकार का दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता के अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होंगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नये टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जावेगा तत्पश्चात् विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

30. किसी भी माह के चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बन्द नहीं रखा जावेगा यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। उससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बन्द रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/– की अतिरिक्त कटौती की जावेगी।

31. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी सम्बंधित विभाग की नहीं होगी।

32. दरें नियत स्थान पर शब्दों एवं अंकों में लिखना आवश्यक है। त्रुटि या Over Write नहीं होना चाहिए। यदि शुद्धि करनी है तो वह स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित लघु हस्ताक्ष किये जाने चाहिए।

33. आपूर्तिकर्त्ता अपनी संविदा या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को Sublet नहीं करेगा।

34. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवाकर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवाकर (GST) की राशि जमा कराने के प्रकरण के स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं करने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवाकर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में GST के सम्बंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

35. निविदादाता द्वारा कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की दरें श्रम विभाग के द्वारा जारी परिपत्र के अनुरूप ही प्रस्तुत की जानी है।

36. न्यूनतम मजदूरी दरों में राज्य सरकार/श्रम विभाग द्वारा परिवर्तित/संशोधित दरें प्रभावी होगी।

37. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बंधित संवेदक का होगा।

38. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

39. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

40. इस निविदा की समस्त कार्य विधि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अध्यधीन पूर्ण की जावेगी। इस निविदा में लिखित शर्तों व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 में अन्तर होने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधान ही लागू होंगे।

41. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना सफल निविदादाता द्वारा की जावेगी।

42. सफल निविदादाता वित्त (G&T) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 संख्या 1/2018 जयपुर, दिनांक 30.04.2018 के अनुसार तथा निविदा से सम्बंधित समय–समय पर जारी समस्त लागू आदेश/परिपत्र आदि के सभी सम्बंधित बिन्दुओं की पालना के लिए उत्तरदायी रहेगा।

(डॉ॰ विजय सिंहल)
सदस्य सचिव